



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2019/माघ 15, 1940

No. 536]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2019/MAGHA 15, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

का.आ. 653 (अ).—मंत्रालय प्रारूप अधिसूचना का.आ. 3335(अ.), दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 के अधिक्रमण में, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य और नमेरी बाघ रिज़र्व पश्चिम असम में सोनीतपुर जिले में और आंशिक रूप से उदलगूरी जिले में स्थित है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान का वर्ष 2000 में असम सरकार की अधिसूचना सं. एफ आर डब्ल्यू-95/99/70 दिनांक 1 मार्च, 2000 के द्वारा नमेरी राष्ट्रीय उद्यान (1998 में अधिसूचना सं. एफ आर डब्ल्यू II/96/81 दिनांक 13 अगस्त, 1998 को अधिसूचित किया) के कोर क्षेत्र 200 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत कोर क्षेत्र के साथ नमेरी बाघ रिज़र्व घोषित किया गया और पूर्व और पश्चिम पर बफर क्षेत्र का 144 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाघ रिज़र्व के कुल क्षेत्र का 344 वर्ग किलोमीटर है और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य (1998 में अधिसूचना सं. एफ आर डब्ल्यू-33/98/11 दिनांक 13 सितम्बर, 1998 क्षेत्र 220 वर्ग किलोमीटर के साथ अधिसूचित है) को असम सरकार अधिसूचना सं.एफ आर एम.236/2014/20 दिनांक 18 जून 2015 के द्वारा नमेरी बाघ रिज़र्व को सैटेलाइट कोर घोषित किया गया था, जिसमें सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। दोनों संरक्षित क्षेत्र उच्च जैव-विविधता मूल्य के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा और वन क्षेत्रों से सटे हुए हैं;

और, दोनों संरक्षित क्षेत्र पूर्वी हिमालय के पादगिरि में स्थित हैं जिनमें सोनाई-रूपाई बन्यजीव अभयारण्य का 200 वर्ग किलोमीटर और 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। जिसे हाथियों संघ्या के लिए सुरक्षित गलियारा और साथ ही बाघों की संघ्या के लिए संरक्षण की आवश्यकता है;

और, संरक्षित क्षेत्र आठ वैश्विक खतरे में पड़ी प्रजातियों, ग्यारह खतरे में पड़ी प्रजातियों और पांच के खतरे के कगार वाली प्रजातियों का वास है;

और, संरक्षित क्षेत्र में जीवजंतुओं की विविधता है जिनमें स्तनधारी, उभयचर और पक्षी शामिल है। स्तनधारियों के उदाहरण में एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सीमस), बाघ (पैथेरा टाइगरस), तेंदुआ (पैथेरा पार्डस), मलिन तेंदुआ (नेओफेलिस नेबलोस), काला भालू (उरसुस अमेरीकनउस), जंगली कुत्ता (कृओन अल्पाइंस), रीछ (मेलउर्सिस उर्सिनस), पिंगी हॉग (पोरक्ला सल्वानिया), गौर (बॉस गौरस), सांभर (रुसा यनीक्लोर), कैप्ट लंगर (ब्रच्यपिथेक्स पिलातस) आदि पाए जाते हैं; मालायन बॉक्स कद्दुआ (कृओरा एम्बॉन्येन्सिस), पूर्वी हिल टेरापिन (मेलानोचेल्स टीकरीनाइ), स्पॉट ब्लैक टेरापिन (बॉलेमिस हमिल्टोनि), ब्राउन रूफड कद्दुआ (कद्दुगा स्मिथि), इंडियन रूफड कद्दुआ (कद्दुगा टेकटा), इंडियन टेंट कद्दुआ (कद्दुगा टेकटा टेकटा), असम रूफड कद्दुआ (पांगशरा सिलेथेन्सिस) पक्षियों के उदाहरण में व्हाइट चैक्ड तितर (आबोरोफिला एट्रोगल्लिस), रेड जंगली मरगा (गल्लस गल्लस), कलिज फिजेंट (लोफ्करा लेय्कोमेलानोस), ग्रे पीकॉक फिजेंट (पाँखीलेक्ट्रॉन बाइकलकार्टम), फ्लवस व्हिस्टिंग कबतर (डंडरोग्ना बाइकोलर), लेसर व्हिस्टिंग डक (डंडरोग्ना जवानिका), बार-हेडेड ग्रूस (अन्सेर इंडिकस), गडवाल्ल (अनास स्ट्रेपेरा), माल्लाई (अनास प्लैटीरिनचोस), स्कलेक्ड प्यूलेट (पिक्स्मस इनोमिनाइस), रूफोस कठफोइवा (केल्स बराचयउर्स), हिमालायन फ्लेमबैक (दीनोओपियम सोरी), ग्रेट हॉर्नबिल (बकरोस बाइकोर्निस), ग्रेट बार्बेट (मेगाइमा वीरेन), पिङ्गड़ कोयल (क्लैमरेटर जकोविनुस), इंडियन कोयल (क्यूकूलस माइक्रोप्रेटस) आदि शामिल हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र आवासी और प्रवासी पक्षीजीवों की संघ्या जैसे लविस बिल्ल, पल्लास फिशिंग ईगल, स्लेंडर बिल्लेड गिद्ध, हिमालयन गरिफ्फों गिद्ध, ग्रेट हॉर्नबिल, रुड़ी शेल्डक, मरगेंगेर की बृहत् विविधता को आश्रय प्रदान करता है;

और, संरक्षित क्षेत्र में परूप प्रजातियों की विविधता है उदाहरण के लिए मैंगिफेरा सीलवाटिका, अमौरा वाल्लिचि, इम्बलिका ओफिकिनालिस, स्पॉदीयुस मैगिफेरा, मन्सोनिया दीपिकै, क्रतैवा रेलिगिओसा, टर्मिनलिया त्रिवीफ्लोरा, ट्रेनिया त्रिवीफ्लोरा, चिकरास्सिस टबुलारिस, मूरस लविगाटा, फिक्स स्पा,, गमेलिना अरबोरिया, डिओक्सीलुम हमिल्टोनि, टर्मिनलिया मैरोकार्पा आदि;

और, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनाई-रूपाई बन्यजीव अभयारण्य और नमेरी बाघ रिजर्व उत्तर पूर्व भारत जैव-भौगोलिक जोन के उत्तर पूर्व ब्रह्मपुत्र धाटी जैव-भौगोलिक प्रांत (9ए) से संबंधित है और इसमें असम धाटी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उप-हिमालयन लाइट जलोढ़ अर्ध सदाबहार वन, पूर्वी जलोढ़ माध्यमिक अर्ध-सदाबहार वन, केन ब्रेक, निचला जलोढ़ सावाना वनस्थली, पूर्वी हॉल्लोक वन, पूर्वी मौसमी दलदल वन, पूर्वी डिल्लेनिया दलदल वन और पूर्वी आर्द्र जलोढ़ धासभूमि हैं;

और, संरक्षित क्षेत्र का असीम शोध, मनोरंजनात्मक और शैक्षिक मूल्य हैं;

और, संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बढ़ती मानव जनसंघ्या से आने वाले समय में तक संरक्षित क्षेत्र में पर्यावासों, पशुओं, पक्षियों और मछलियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

और, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनाई-रूपाई बन्यजीव अभयारण्य और नमेरी बाघ रिजर्व के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमा पैरा 1 में विनिर्दिष्ट है, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उत्तर पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

बतः: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य में नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनाई-रूपाई बन्यजीव अभयारण्य और नमेरी बाघ रिजर्व की सीमा के चारों ओर 1314.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मापा गया है शून्य किलोमीटर (उत्तर में अरुणाचल के साथ अंतःराज्य सीमा के कारण) से 22.7 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनाई-रूपाई बन्यजीव अभयारण्य और नमेरी बाघ रिजर्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा**--(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, सोनाई-रूपाई बन्यजीव अभयारण्य और नमेरी बाघ रिजर्व के साथ शून्य किलोमीटर (उत्तर में अरुणाचल के साथ अंतःराज्य सीमा के कारण) से 22.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 1314.00 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण उपांच्छ । के रूप में संलग्न है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र का मानचित्र उपांच्छ-॥क और उपांच्छ- ॥ख में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और संरक्षित क्षेत्र की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची क्रमशः उपांच्छ-॥क, उपांच्छ-॥ख और उपांच्छ-॥ग में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची उपांच्छ । के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना।—(1) राज्य सरकार, द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनाई जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासादिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण,
- (ii) वन और वन्यजीव,
- (iii) कृषि,
- (iv) राजस्व,
- (v) शहरी विकास,
- (vi) पर्यटन,
- (vii) ग्रामीण विकास,
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण,
- (ix) नगरपालिका,
- (x) पंचायती राज,
- (xi) लोक निर्माण विभाग,
- (xii) राजमार्ग, और
- (xiii) असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों की बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरणों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का व्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिपिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:—

(1) **भू-उपयोग**—(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जैसे:

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और
- (v) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उपन्यैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा:

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे:

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बन्धी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिझोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

तथापि, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिझोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगा।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याप्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले वहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैत संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबंधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) वायु प्रदूषण- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) बहिस्माव का निस्सारण- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्माव का निस्सारण, साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई-अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) बौद्योगिक ईकाइयां.- (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिपिछ्व या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
क. प्रतिपिछ्व क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों, जिनमें घरों के निर्माण या मरम्मत और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाने हेतु जमीन की खुदाई शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तकाल प्रभाव से निपिछ्व की जाती हैं; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन घिरुमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सिविल) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार किए जाएंगे।
2.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिछ्व (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञा दी होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्थावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिछ्व (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिछ्व (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
7.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी।

		<p>परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
8.	होटलों और रिजोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।</p>
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
10.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
11.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
12.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्योगों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
13.	विद्युत और संचार टाँचर लगाने, तार-विद्धाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल विद्धाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	सुरक्षा बल शिविर / सेना प्रतिष्ठान।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	नई लकड़ी आधारित उद्योग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	नदियों और प्राकृतिक जल निकायों में मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
20.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुर्घट उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।

	में बाड़ लगाना।	
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुण्य कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंग।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
28.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
29.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	वानस्पतिक बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन अनुमति दी जाएगी।
34.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. निगरानी समिति- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

1.	आयुक्त, उत्तरी असम संभाग, तेजपुर	-अध्यक्ष;
2.	वन संरक्षक, उत्तरी असम मंडल, तेजपुर	-सदस्य;
3.	उप आयुक्त (सोनितपुर, विश्वनाथ चरियाली और दरांग)	-सदस्य;
4.	संभागीय वन अधिकारी (सोनितपुर पूर्व संभाग और सोनितपुर पश्चिम प्रभाग)	-सदस्य;
5.	जिला उद्योग महाप्रबंधक (सोनितपुर, विश्वनाथ चरियाली और दरांग)	-सदस्य;
6.	जिला कृषि अधिकारी (सोनितपुर, विश्वनाथ चरियाली और उदलगुड़ी)	-सदस्य;
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाने वाला वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;

8.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
9.	नामित किया जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण का एक विशेषज्ञ।	-सदस्य;
10.	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
11.	क्षेत्रीय अधिकारी, असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-सदस्य;
12.	संभागीय वन अधिकारी, पश्चिमी असम वन्यजीव संभाग	-सदस्य-सचिव।

6.विचारार्थ विषय:- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन समिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिछ्द गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिपिछ्द क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें समिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राथिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्फाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, उपांत्ति V में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा.सं. 25/117/2015-इप्सजे-आरई]

डॉ.सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'


उपांच्छ-।संरक्षित क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर	जी.पी.एस बिंदु सं. 1 (92° 39'49.154" पू एवं 270 2' 15.953" उ) से नमेरी बाघ रिजर्व एवं सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से आरंभ होती है जो कि असम-अरुणाचल प्रदेश अंतःराज्य सीमा पर स्थित है। जी.पी.एस बिंदु सं. 1 से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा अंतःराज्य सीमा के साथ पूर्व की ओर जाती है यह जी.पी.एस बिंदु सं. 16 (93° 3'44.348" पू एवं 26° 55'15.106" उ) से मिलती है।
पूर्व	वहां से, नमेरी बाघ रिजर्व एवं सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा नदौर रिजर्व वन (गीलधरी नदी के बाएं तट) की पूर्वी सीमा के साथ दक्षिण की ओर जी.पी.एस.बिंदु सं. 16 (93° 3'44.348" पू एवं 26° 55'15.106" उ) से जाती है और जी.पी.एस.बिंदु सं. 20 (93° 4'34.473" पू एवं 26° 52'5.854" उ) से मिलती है जहां नदौर रिजर्व वन सीमा समाप्त होती है। पुनः इस बिंदु से पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा गीलधरी नदी के बाएं तट के साथ दक्षिण की ओर जाती है यह जी.पी.एस बिंदु सं. 29 (93° 4'17.832" पू एवं 26° 44'53.981" उ) में एन एफ रेलवे लाइन तक मिलती है।
दक्षिण	वहां से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 29 (93° 4'17.832" पू एवं 26° 44'53.981" उ) से जी.पी.एस बिंदु सं. 43 (92° 48'51.004" पू एवं 26° 49'1.700" उ) के एन.एफ रेलवे लाइन के साथ पश्चिम दिशा की ओर जाती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 43 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 51 (92° 44'59.425" पू एवं 26° 52'15.756" उ) के मनसरी नदी के साथ जाती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 51 से सीमा दक्षिण की ओर चरीदौर रिजर्व वन सीमा के साथ जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 52 (92° 45'1.792" पू एवं 26° 51'58.139" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 52 से, सीमा चरीदौर रिजर्व वन की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी दिशा की ओर पुनः जाती है यह जी.पी.एस बिंदु सं. 57 (92° 37'10.058" पू एवं 26° 51'45.111" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 57 से सीमा चाय बगान सड़क के साथ दक्षिण की ओर जाती है यह जी.पी.एस बिंदु सं. 58 (92° 36'9.157" पू एवं 26° 51'9.464" उ) से मिलती है जी.पी.एस बिंदु सं. 58 से सीमा पुनः पश्चिम दिशा की ओर जाती है यह जी.पी.एस बिंदु सं. 59 (92° 32'34.049" पू एवं 26° 51'17.806" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 59 से सीमा जी.पी.एस बिंदु सं. 66 (92° 30'29.853" पू एवं 26° 48'2.151" उ) के चरीदौर रिजर्व वन सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है। जहां यह एन एफ रेलवे लाइन से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 66 से सीमा चरीदौर रिजर्व वन सीमा के साथ दक्षिण की ओर जाती है यह जी.पी.एस बिंदु सं. 70 (92° 28'34.258" पू एवं 26° 48'13.748" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 70 से सीमा पुनः एन एफ रेलवे लाइन के साथ पश्चिम की ओर जाती है यह मैनाजूली नदी के दाएं तट पर जी.पी.एस बिंदु सं. 77 (92° 18'42.874" पू एवं 26° 47'41.114" उ) से मिलती है।
पश्चिम	मैनाजूली नदी के दाएं तट पर जी.पी.एस बिंदु सं. 77 (92° 18'42.874" पू एवं 26° 47'41.114" उ) से, सीमा मैनाजूली नदी के दाएं तट के साथ उत्तर की ओर जाती है यह जी.पी.एस बिंदु सं. 83 (92° 19'1.653" पू एवं 26° 51'49.565" उ) से मिलती है। इस बिंदु से, सीमा रोवता रिजर्व वन सीमा के साथ पश्चिमी की ओर जाती है और रोवता नदी के दाएं तट पर जी.पी.एस बिंदु सं. 87 (92° 14'18.087" पू एवं 26° 51'21.401" उ) से मिलती है। जी.पी.एस बिंदु सं. 87 से सीमा रोवता नदी के दाएं तट के साथ जाती है और जी.पी.एस बिंदु सं. 92 (92° 15'9.080" पू एवं 26° 54'30.674" उ) से मिलती है जो कि असम-अरुणाचल प्रदेश अंतःराज्य सीमा पर स्थित है। वहां से, जी.पी.एस बिंदु सं. 92 से, सीमा असम-अरुणाचल प्रदेश अंतःराज्य सीमा के साथ जाती है यह जी.पी.एस बिंदु सं. 1 से मिलती है, जो कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा का आरंभिक बिंदु है।

उपांग- ॥क

नमेरी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र


ECO-SENSITIVE ZONE OF NAMERI TIGER RESERVE & SONAI RUPAI WILDLIFE SANCTUARY



उपांदृष्ट- ॥५

नमेरी राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

ECO-SENSITIVE ZONE OF NAMERI TIGER RESERVE & SONAI RUPAI WILDLIFE SANCTUARY



सारणी क: नमेरी बाघ रिजर्व की सीमा पर जी.पी.एस. अवस्थान बिंदु

जी.पी.एस. बिंदु	देशांतर	अक्षांश
(1 बाघ रिजर्व)	92° 39'49.154" पू	27° 2'15.953" उ
(2बाघ रिजर्व)	92° 41'35.715" पू	27° 1'49.628" उ
(3 बाघ रिजर्व)	92° 42'55.925" पू	27° 1'34.120" उ
(4 बाघ रिजर्व)	92° 44'49.016" पू	27° 1'48.286" उ
(5बाघ रिजर्व)	92° 46'21.957" पू	27° 1'57.353" उ
(6 बाघ रिजर्व)	92° 48'28.721" पू	27° 1'27.857" उ
(7 बाघ रिजर्व)	92° 50'6.506" पू	27° 0'42.237" उ
(8 बाघ रिजर्व)	92° 51'0.280" पू	27° 0'31.570" उ
(9बाघ रिजर्व)	92° 52'0.484" पू	27° 0'19.633" उ
(10 बाघ रिजर्व)	92° 53'23.087" पू	26° 59'57.870" उ
(11 बाघ रिजर्व)	92° 55'17.902" पू	26° 58'55.534" उ
(12 बाघ रिजर्व)	92° 55'7.269" पू	26° 58'25.257" उ
(13 बाघ रिजर्व)	92° 55'12.864" पू	26° 57'45.443" उ
(14 बाघ रिजर्व)	92° 59'1.640" पू	26° 56'10.994" उ
(15 बाघ रिजर्व)	92° 58'11.504" पू	26° 55'31.225" उ
(16 बाघ रिजर्व)	92° 56'53.025" पू	26° 54'53.892" उ
(17 बाघ रिजर्व)	92° 56'28.866" पू	26° 53'40.887" उ
(18 बाघ रिजर्व)	92° 55'17.356" पू	26° 53'7.147" उ
(19 बाघ रिजर्व)	92° 53'58.941" पू	26° 52'46.436" उ
(20 बाघ रिजर्व)	92° 52'49.182" पू	26° 52'6.686" उ
(21 बाघ रिजर्व)	92° 51'55.914" पू	26° 50'34.612" उ
(22 बाघ रिजर्व)	92° 51'20.264" पू	26° 50'28.418" उ
(23 बाघ रिजर्व)	92° 50'39.049" पू	26° 50'43.275" उ
(24 बाघ रिजर्व)	92° 50'18.551" पू	26° 51'34.720" उ
(25 बाघ रिजर्व)	92° 49'56.088" पू	26° 53'8.109" उ
(26 बाघ रिजर्व)	92° 49'44.339" पू	26° 53'12.665" उ
(27 बाघ रिजर्व)	92° 51'20.568" पू	26° 53'1.249" उ
(28 बाघ रिजर्व)	92° 51'19.902" पू	26° 54'29.807" उ
(29 बाघ रिजर्व)	92° 50'20.268" पू	26° 56'3.044" उ
(30 बाघ रिजर्व)	92° 49'15.240" पू	26° 57'29.786" उ
(31 बाघ रिजर्व)	92° 47'44.238" पू	26° 58'26.780" उ
(32 बाघ रिजर्व)	92° 45'52.360" पू	26° 59'33.325" उ
(33 बाघ रिजर्व)	92° 44'17.479" पू	26° 59'45.602" उ
(34 बाघ रिजर्व)	92° 42'50.366" पू	26° 0'2.433" उ

(35 वाघ रिजर्व)	92° 41'20.420" पू	26° 59'44.703" उ
(36 वाघ रिजर्व)	92° 39'59.132" पू	27° 0'25.217" उ
(37 वाघ रिजर्व)	92° 38'57.725" पू	27° 0'52.845" उ
(38 वाघ रिजर्व)	92° 39'21.748" पू	27° 1'31.554" उ

सारणी छ: सोनाई-रूपाई बन्यजीव वभयारण्य की सीमा के जी.पी.एस

जी.पी.एस. बिंदु	देशांतर	अक्षांश
(1 बन्यजीव)	92° 34'40.798" पू	26° 57'31.909" उ
(2 बन्यजीव)	92° 34'50.419" पू	26° 57'2.264" उ
(3 बन्यजीव)	92° 35'3.761" पू	26° 55'56.000" उ
(4 बन्यजीव)	92° 34'53.983" पू	26° 54'35.779" उ
(5 बन्यजीव)	92° 34'42.179" पू	26° 53'32.621" उ
(6 बन्यजीव)	92° 35'19.916" पू	26° 52'14.131" उ
(7 बन्यजीव)	92° 35'48.746" पू	26° 51'48.559" उ
(8 बन्यजीव)	92° 32'34.612" पू	26° 51'50.656" उ
(9 बन्यजीव)	92° 29'58.715" पू	26° 51'50.128" उ
(10 बन्यजीव)	92° 28'52.439" पू	26° 51'49.890" उ
(11 बन्यजीव)	92° 27'2.748" पू	26° 51'49.475" उ
(12 बन्यजीव)	92° 25'14.975" पू	26° 51'49.045" उ
(13 बन्यजीव)	92° 23'25.668" पू	26° 51'48.586" उ
(14 बन्यजीव)	92° 20'44.211" पू	26° 51'47.864" उ
(15 बन्यजीव)	92° 20'38.600" पू	26° 52'29.817" उ
(16 बन्यजीव)	92° 20'43.533" पू	26° 53'3.981" उ
(17 बन्यजीव)	92° 20'54.558" पू	26° 54'3.110" उ
(18 बन्यजीव)	92° 21'22.262" पू	26° 55'13.582" उ
(19 बन्यजीव)	92° 22'2.756" पू	26° 55'56.127" उ
(20 बन्यजीव)	92° 22'11.213" पू	26° 55'42.819" उ
(21 बन्यजीव)	92° 24'4.879" पू	26° 55'28.867" उ
(22 बन्यजीव)	92° 24'53.185" पू	26° 56'33.566" उ
(23 बन्यजीव)	92° 25'43.015" पू	26° 56'27.579" उ
(24 बन्यजीव)	92° 27'0.331" पू	26° 57'30.921" उ
(25 बन्यजीव)	92° 28'39.751" पू	26° 57'40.101" उ
(26 बन्यजीव)	92° 30'23.610" पू	26° 57'47.840" उ
(27 बन्यजीव)	92° 32'2.946" पू	26° 57'34.234" उ
(28 बन्यजीव)	92° 33'10.992" पू	26° 57'27.092" उ

सारणी ग: नमेरी रात्रीय उद्घान/रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य/नमेरी बाष्प रिज़र्व के पारिस्थितिकी संबेदी जोन की सीमा पर जी.पी.एस. अवस्थान बिंदु

जी.पी.एस. बिंदु	देशांतर	वक्षांश
1.	92° 39'49.154" पू	27° 2' 15.953" उ
2.	92° 41'35.715" पू	27° 1' 49.628" उ
3.	92° 42'55.925" पू	27° 1' 34.120" उ
4.	92° 44'49.016" पू	27° 1' 48.286" उ
5.	92° 46'21.957" पू	27° 1' 57.353" उ
6.	92° 48'28.721" पू	27° 1' 27.857" उ
7.	92° 50'6.506" पू	27° 0' 42.237" उ
8.	92° 51'0.280" पू	27° 0' 31.570" उ
9.	92° 52'0.484" पू	27° 0' 19.633" उ
10.	92° 53'23.087" पू	26° 59' 57.870" उ
11.	92° 55'17.902" पू	26° 58' 55.534" उ
12.	92° 55'7.269" पू	26° 58' 25.257" उ
13.	92° 55'12.864" पू	26° 57' 45.443" उ
14.	92° 59'1.640" पू	26° 56' 10.994" उ
15.	93° 1'30.098" पू	26° 54' 45.891" उ
16.	93° 3'44.348" पू	26° 55' 15.106" उ
17.	93° 3'34.070" पू	26° 54' 14.430" उ
18.	93° 4'23.339" पू	26° 53' 43.571" उ
19.	93° 4'44.819" पू	26° 52' 45.717" उ
20.	93° 4'34.473" पू	26° 52' 5.854" उ
21.	93° 4'27.956" पू	26° 51' 11.884" उ
22.	93° 4'2.889" पू	26° 50' 33.403" उ
23.	93° 3'58.135" पू	26° 49' 29.456" उ
24.	93° 3'38.044" पू	26° 48' 18.085" उ
25.	93° 3'51.974" पू	26° 47' 34.632" उ
26.	93° 3'57.844" पू	26° 46' 56.262" उ
27.	93° 4'13.415" पू	26° 46' 9.883" उ
28.	93° 4'24.584" पू	26° 45' 36.131" उ
29.	93° 4'17.832" पू	26° 44' 53.981" उ
30.	93° 1'59.200" पू	26° 44' 46.343" उ
31.	93° 0'47.189" पू	26° 45' 19.482" उ
32.	92° 59'36.652" पू	26° 45' 36.940" उ
33.	92° 58'53.330" पू	26° 45' 46.514" उ
34.	92° 58'5.969" पू	26° 46' 4.858" उ
35.	92° 57'19.524" पू	26° 46' 24.363" उ
36.	92° 56'16.739" पू	26° 47' 2.273" उ
37.	92° 55'10.252" पू	26° 47' 42.538" उ
38.	92° 54'23.337" पू	26° 48' 11.761" उ
39.	92° 53'22.044" पू	26° 48' 47.062" उ
40.	92° 52'23.789" पू	26° 48' 44.858" उ
41.	92° 51'25.936" पू	26° 48' 41.662" उ
42.	92° 50'32.907" पू	26° 48' 38.926" उ
43.	92° 48'51.004" पू	26° 49' 1.700" उ
44.	92° 48'19.859" पू	26° 49' 15.953" उ
45.	92° 48'5.385" पू	26° 50' 15.953" उ
46.	92° 47'35.542" पू	26° 51' 15.953" उ
47.	92° 47'9.516" पू	26° 51' 15.953" उ
48.	92° 46'37.627" पू	26° 52' 15.953" उ

49.	92° 46'4.647" पू	26° 52' 15.953" उ
50.	92° 45'37.319" पू	26° 52' 15.953" उ
51.	92° 44'59.425" पू	26° 52' 15.953" उ
52.	92° 45'1.792" पू	26° 51' 15.953" उ
53.	92° 43'9.033" पू	26° 51' 15.953" उ
54.	92° 42'29.057" पू	26° 52' 15.953" उ
55.	92° 40'52.882" पू	26° 52' 11.747" उ
56.	92° 40'52.129" पू	26° 51' 43.535" उ
57.	92° 37'10.058" पू	26° 51' 45.111" उ
58.	92° 39'49.154" पू	27° 2' 15.953" उ
59.	92° 41'35.715" पू	27° 1' 49.628" उ
60.	92° 42'55.925" पू	27° 1' 34.120" उ
61.	92° 44'49.016" पू	27° 1' 48.286" उ
62.	92° 46'21.957" पू	27° 1' 57.353" उ
63.	92° 48'28.721" पू	27° 1' 27.857" उ
64.	92° 50'6.506" पू	27° 0' 42.237" उ
65.	92° 51'0.280" पू	27° 0' 31.570" उ
66.	92° 52'0.484" पू	27° 0' 19.633" उ
67.	92° 53'23.087" पू	26° 59' 57.870" उ
68.	92° 55'17.902" पू	26° 58' 55.534" उ
69.	92° 55'7.269" पू	26° 58' 25.257" उ
70.	92° 55'12.864" पू	26° 57' 45.443" उ
71.	92° 59'1.640" पू	26° 56' 10.994" उ
72.	93° 1'30.098" पू	26° 54' 45.891" उ
73.	93° 3'44.348" पू	26° 55' 15.106" उ
74.	93° 3'34.070" पू	26° 54' 14.430" उ
75.	93° 4'23.339" पू	26° 53' 43.571" उ
76.	93° 4'44.819" पू	26° 52' 45.717" उ
77.	93° 4'34.473" पू	26° 52' 5.854" उ
78.	93° 4'27.956" पू	26° 51' 11.884" उ
79.	93° 4'2.889" पू	26° 50' 33.403" उ
80.	93° 3'58.135" पू	26° 49' 29.456" उ
81.	93° 3'38.044" पू	26° 48' 18.085" उ
82.	93° 3'51.974" पू	26° 47' 34.632" उ
83.	93° 3'57.844" पू	26° 46' 56.262" उ
84.	93° 4'13.415" पू	26° 46' 9.883" उ
85.	93° 4'24.584" पू	26° 45' 36.131" उ
86.	93° 4'17.832" पू	26° 44' 53.981" उ
87.	93° 1'59.200" पू	26° 44' 46.343" उ
88.	93° 0'47.189" पू	26° 45' 19.482" उ
89.	92° 59'36.652" पू	26° 45' 36.940" उ
90.	92° 58'53.330" पू	26° 45' 46.514" उ
91.	92° 58'5.969" पू	26° 46' 4.858" उ
92.	92° 57'19.524" पू	26° 46' 24.363" उ
93.	92° 56'16.739" पू	26° 47' 2.273" उ
94.	92° 55'10.252" पू	26° 47' 42.538" उ
95.	92° 54'23.337" पू	26° 48' 11.761" उ
96.	92° 53'22.044" पू	26° 48' 47.062" उ
97.	92° 52'23.789" पू	26° 48' 44.858" उ

98.	92° 51'25.936" पू	26° 48' 41.662" उ
99.	92° 50'32.907" पू	26° 48' 38.926" उ
100.	92° 48'51.004" पू	26° 49' 1.700" उ
101.	92° 48'19.859" पू	26° 49' 15.953" उ
102.	92° 48'5.385" पू	26° 50' 15.953" उ
103.	92° 47'35.542" पू	26° 51' 15.953" उ
104.	92° 47'9.516" पू	26° 51' 15.953" उ
105.	92° 46'37.627" पू	26° 52' 15.953" उ

106.	92° 46'4.647" पू	26° 52' 15.953" उ
107.	92° 45'37.319" पू	26° 52' 15.953" उ
108.	92° 44'59.425" पू	26° 52' 15.953" उ
109.	92° 45'1.792" पू	26° 51' 15.953" उ
110.	92° 43'9.033" पू	26° 51' 15.953" उ
111.	92° 42'29.057" पू	26° 52' 15.953" उ
112.	92° 40'52.882" पू	26° 52' 11.747" उ
113.	92° 40'52.129" पू	26° 51' 43.535" उ

उपाबंध- IV**नमेरी बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ग्रामों की सूची****(प्रायोगिक एवं गैर उचरता-हारी की सूची)****सारणी क: नमेरी राष्ट्रीय उद्यान**

क्र.सं.	नाम	देशांतर	अक्षांश
1.	छोटाईगांव	92° 47'44.91"	26° 57'34.73"
2.	छोटाईगांव(मिरीलबस्ती)	92° 48'31.81"	26° 56'51.08"
3.	पोटासाल्ल	92° 49'29.61"	26° 55'22.99"
4.	गमानी	92° 48'25.23"	26° 55'36.26"
5.	नतुन धारीकटी	92° 49'31.86"	26° 54'53.71"
6.	अरालीलागा	92° 47'42.14"	26° 54'22.27"
7.	सोपालोगा	92° 47'44.57"	26° 54'45.88"
8.	सेन्गोलीमरी	92° 47'21.55"	26° 53'27.56"
9.	धारीकाटी	92° 49'39.99"	26° 53'16.76"
10.	सोनाईबस्ती	92° 49'30.47"	26° 52'21.35"
11.	बोकोला	92° 46'51.27"	26° 52'53.91"
12.	दोलोनगबस्ती	92° 47'44.05"	26° 52'4.061"
13.	बेदगउल	92° 47'27.26"	26° 51'41.67"
14.	होदीबस्ती	92° 48'22.29"	26° 51'30.56"
15.	भोरेलीबस्ती	92° 49'7.979"	26° 51'39.36"
16.	भुरागांव टी जी	92° 48'53.27"	26° 50'57.98"
17.	लोकरा	92° 48'8.450"	26° 50'27.10"
18.	घोरामारी	92° 49'50.37"	26° 49'58.38"
19.	सलानीबस्ती	92° 49'21.99"	26° 49'27.81"

20.	सलानी	92° 50'12.52"	26° 49'24.72"
21.	बम्बांव	92° 48'32.67"	26° 49'18.85"
22.	अकावस्ती	92° 49'18.36"	26° 48'39.70"
23.	सिलानीपाम	92° 51'41.47"	26° 49'38.46"
24.	बदगांव	92° 51'44.93"	26° 48'57.77"
25.	सिकिमगांव	92° 51'52.54"	26° 50'10.81"
26.	सिलानीश्वाट	92° 52'27.93"	26° 49'53.79"
27.	बहमिनिपाम	92° 53'23.57"	26° 49'39.89"
28.	थोवबांगा	92° 53'49.01"	26° 48'39.58"
29.	अगरीपाम	92° 54'15.14"	26° 49'40.28"
30.	पाटगांव	92° 53'41.56"	26° 50'13.01"
31.	रंगा छुक	92° 54'39.36"	26° 50'20.73"
32.	बोर दीकाराई	92° 53'45.03"	26° 51'31.41"
33.	मोरीकुटी	92° 55'1.518"	26° 51'28.63"
34.	बातामारी	92° 56'6.584"	26° 50'35.67"
35.	चरीस्तीअन बस्ती	92° 56'5.719"	26° 51'55.95"
36.	बातामारी	92° 56'14.02"	26° 51'13.81"
37.	गिथरीजान	92° 56'45.00"	26° 50'52.35"
38.	उत्तर बलीजुरी	92° 57'35.35"	26° 51'26.31"
39.	तेजालपट्टी	92° 58'51.32"	26° 52'5.219"
40.	मिरिगांव	92° 56'5.113"	26° 52'45.12"

सारणी ख: सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य

क्र.सं.	नाम	देशांतर	अक्षांश
1.	कछारीगांव	92° 37'23.87"	26° 53'30.21"
2.	लोतरा	92° 37'44.41"	26° 51'53.34"
3.	ताराजुली	92° 38'21.12"	26° 51'34.17"
4.	ताराजुली टीजी	92° 38'5.055"	26° 51'19.75"
5.	धानदाई टी जी	92° 37'50.12"	26° 50'42.92"
6.	जिअहाभारू	92° 35'32.80"	26° 51'25.52"

7.	रीकमारी	92° 34'33.65"	26° 51'18.05"
8.	कालामारी	92° 32'52.00"	26° 51'44.73"
9.	भाईगनजुली	92° 33'11.40"	26° 51'26.58"
10.	दीधालीजुली	92° 33'56.28"	26° 51'19.45"
11.	नाहारानी	92° 33'0.179"	26° 51'3.843"
12.	कोलाबारी	92° 34'36.03"	26° 50'35.50"
13.	धान्खाना सं. 1	92° 32'32.69"	26° 49'57.15"
14.	धान्खाना सं. 2	92° 33'23.09"	26° 49'31.35"
15.	नेपालीबस्ती	92° 34'12.16"	26° 49'37.29"
16.	रामनाथपुर	92° 31'20.23"	26° 49'15.23"
17.	घोरानीबील	92° 34'57.05"	26° 50'20.74"
18.	बलीकुथ्री	92° 35'37.94"	26° 50'17.17"
19.	भेरबेरी	92° 34'39.64"	26° 50'11.49"
20.	कथलगुरी	92° 33'28.23"	26° 50'19.46"
21.	गभरू	92° 37'17.12"	26° 49'28.13"
22.	कदाबील	92° 18'21.49"	26° 51'42.06"
23.	हत्तिटोपा	92° 19'0.298"	26° 51'22.38"
24.	जिन्गबिल	92° 19'50.31"	26° 51'29.67"
25.	देओनसानी	92° 20'23.22"	26° 51'14.40"
26.	जग्गापुर	92° 19'35.95"	26° 50'24.68"
27.	बेतीबरी टी जी	92° 18'47.74"	26° 50'9.922"
28.	लोकम्पुर	92° 19'36.14"	26° 49'39.54"
29.	भोतापारा	92° 20'59.16"	26° 49'11.03"
30.	चापई रउमार	92° 22'16.57"	26° 49'20.19"
31.	झारगांव	92° 22'48.81"	26° 49'13.32"

उपांग-V**पारिस्थितिकी संबंदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्यवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपांग में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपांग के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपांग के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपांग के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2019

S.O. 653(E).—In supersession of Ministry's draft notification S.O. 3335 (E), dated 9th December, 2015, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Nameri National Park, Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary and Nameri Tiger Reserve located in Sonitpur district and partly in Udaguri district on west in the State of Assam. Nameri National Park was declared as Nameri Tiger Reserve in the year 2000 *vide* Government of Assam Notification No. FRW-95/99/70 Dated 1st March 2000, with a core area comprising of 200 square kilometers of Nameri National Park (notified in 1998 *vide* Notification No. FRW-II/96/81 dated 13th August, 1998) as core area and a buffer area on east and west of the core having an area of 144 square kilometers making the total area of the Tiger Reserve 344 square kilometers and Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary (notified in 1998 *vide* Notification No. FRW-33/98/11 dated 13th September, 1998 with an area of 220 square kilometers) was declared as satellites Core of Nameri Tiger Reserve *vide* Government of Assam Notification No. FRM.236/2014/23 dated 18th June 2015 comprising of 120 square kilometers out of 220 square kilometers of the Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary. Both the protected areas are contiguous with the boundary and forested areas of Arunachal Pradesh with high biodiversity value;

AND WHEREAS, both the protected areas situated at the foothills of Eastern Himalayas comprising of 200 square kilometers and 220 square kilometers of Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary which needs secure corridor for Elephant population as well as needs proper biomass for the Tiger Population;

AND WHEREAS, the protected areas are home to eight globally threatened species, eleven threatened species and five near threatened species;

AND WHEREAS, the protected area has diversity of fauna including mammals, amphibians and birds. Examples of mammals found in Elephant (*Elephas maximus*), Tiger (*Panthera tigris*), Leopard (*Panthera pardus*), clouded Leopard (*Neofelis nebulosa*), Black Bear (*Ursus americanus*), Wild Dog (*Cuon alpinus*), Sloth Bear (*Melursus ursinus*), Pigmy Hog (*Porcula salvania*), Gaur (*Bos gaurus*), Sambar (*Rusa unicolor*), Capped Langur (*Trachypithecus pileatus*) etc; examples of amphibians are Malayan Box Turtle (*Cuora amboinensis*), Eastern Hill Terrapin (*Melanochelys tricarinata*), Spotted Black Terrapin (*Geoclemys hamiltonii*), Brown Roofed Turtle (*Kachuga smithii*), Indian Roofed Turtle (*Kachuga tecta*), Indian Tent Turtle (*Kachuga tecta tecta*), Assam Ruff Turtle (*Pangshura sylhetensis*) etc; examples of birds include White cheeked Partridge (*Arborophila atrogularis*), Red Jungle fowl (*Gallus gallus*), Kalij Pheasant (*Lophura leucomelanos*), Grey Peacock Pheasant (*Polypelectron bicalcaratum*), Fulvous Whistling Duck (*Dendrocygna bicolor*), Lesser Whistling Duck (*Dendrocygna javanica*), Bar-headed Goose (*Anser indicus*), Gadwall (*Anas strepera*), Mallard (*Anas platyrhynchos*), Speckled Piculet (*Picumnus innominatus*), Rufous Woodpecker (*Celes brachyurus*), Himalayan Flameback (*Dinopium shorii*), Great Hornbill (*Buceros bicornis*), Great Barbet (*Megalaima virens*), Pied Cuckoo (*Clamator jacobinus*), Indian Cuckoo (*Cuculus micropterus*) etc.;

AND WHEREAS, the protected areas supporting large diversity of resident and migrant avian population such as Ibis bill, Pallas's Fishing Eagle, Slender billed vulture, Himalayan Griffon vulture, Great Hornbill, Ruddy Shelduck, Margenger;

AND WHEREAS, the protected areas has diversity of plants species for example *Mangifera sylvatica*, *Amoora wallichii*, *Embllica officinalis*, *Spondias mangifera*, *Mansonia dipikae*, *Crataeva religiosa*, *Terminalia nudiflora*, *Trewia nudiflora*, *Chikrassia tabularis*, *Morus lavigata*, *Ficus spp.*, *Gmelina arborea*, *Dysoxylum hamiltonii*, *Terminalia myrocarpa* etc.;

AND WHEREAS, the Nameri National Park, Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary and Nameri Tiger Reserve belongs to the North East Brahmaputra Valley Bio-Geographic Province (9A) of the North East India Bio-Geographic Zone and contains Assam valley tropical evergreen forest, sub Himalayan light alluvial semi ever-green forests, Eastern alluvial secondary semi evergreen forests, cane brakes, low alluvial savanna woodland, Eastern hollock forests, Eastern seasonal swamp forests, Eastern dillenia swamp forests and Eastern wet alluvial grassland.;

AND WHEREAS, the protected areas having immense research, recreational and educational values;

AND WHEREAS, the increasing human population surrounding the protected areas likely to have an adverse impact on habitat, animals, birds and fishes of the protected areas in the long run;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the areas, the extent and boundaries of Nameri National Park, Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary and Nameri Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area measuring 1314.00 square kilometers with an extent from zero kilometers (due to inter-state boundary with Arunachal Pradesh at north) to 22.7 kilometers around the boundary of Nameri National Park, Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary and Nameri Tiger Reserve in the State of Assam, as Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. - (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from zero kilometer (due to inter-state boundary with Arunachal Pradesh at north) to 22.7 kilometers around the Nameri National Park, Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary and Nameri Tiger Reserve. The area of the Eco-sensitive Zone is 1314.00 square kilometers.

- (2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended at **Annexure-I**.
- (3) The map of the Protected Area demarcating the Eco-sensitive Zone boundary is at **Annexure-IIA** and **Annexure-IIB** respectively.
- (4) List of geo co-ordinates of the boundary of the protected areas and the Eco-sensitive Zone is at **Annexure-IIIA**, **Annexure-IIIB** and **Annexure-IIIC** respectively.
- (5) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. – (1) The State Government shall, for the purposes of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this Notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following of the State Government Departments, for integrating environmental and ecological considerations into the said plan:-

- (i) Environment,
- (ii) Forest and Wildlife,
- (iii) Agriculture,
- (iv) Revenue,
- (v) Urban Development,
- (vi) Tourism,
- (vii) Rural Development,
- (viii) Irrigation and Flood Control,
- (ix) Municipal,
- (x) Panchayati Raj,
- (xi) Public Works Department,
- (xii) Highways, and
- (xiii) Assam State Pollution Control Board.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forest, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in table and also ensure and promote eco-friendly development for the security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), above within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities;

(2) Natural water bodies. - The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) Tourism or Eco-tourism. -

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forest.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:
 - (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
 - (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
 - (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage. - All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites. - Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution. - Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

- (a) The solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. - Bio medical waste management shall be as under:-

- (a) The bio medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Waste Management in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. - The Construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be in-compliance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes: The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	<p>(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P. (C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:</p> <p>Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.</p>
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
7.	Construction activities.	<p>(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometers from the boundary of the</p>

		<p>Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometers of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometers from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
9.	Commercial use of firewood.	Regulated as per the applicable laws.
10.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
11.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
12.	Felling of Trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.</p>
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
15.	Security Forces Camp/ Army establishment.	Regulated under applicable laws.
16.	New wood based industry.	Regulated under applicable laws.
17.	Fishing in rivers and natural water bodies.	Regulated under applicable laws.
18.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.

22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Introduction of Exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
C. Promoted Activities		
28.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
29.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
30.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
33.	Vegetative Fencing.	Permitted under applicable laws.
34.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
35.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc to be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

1. Commissioner, Northern Assam Division, Tezpur Chairman;
2. Conservator of Forests, Northern Assam Circle, Tezpur Member;
3. Deputy Commissioner (Sonitpur, Biswanath Chariali and Darrang) Member;
4. Divisional Forest Officer (Sonitpur East Division and Sonitpur West Division) Member;
5. District Industries General Manger (Sonitpur, Biswanath Chariali and Darrang) Member;
6. District Agriculture Officer (Sonitpur, Biswanath Chariali and Udaguri) Member;
7. A representative of Non-government Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by State Government Member;
8. An expert in Biodiversity nominated by the State Government Member;
9. An expert in Ecology and Environment to be nominated by the State Government Member;

10. A representative from State Public Works Department	Member;
11. Regional Officer, Assam State Pollution Control Board	Member;
12. Divisional Forest Officer, Western Assam Wildlife Division	Member- Secretary.

6. Terms of Reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per performa given in **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.


8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/117/15-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'


ANNEXURE - I**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THE PROTECTED AREA**

North	Nameri Tiger Reserve & Sonai-Rupai Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone boundary starts from GPS point No 1 ($92^{\circ} 39'49.154''$ E & $270^{\circ} 2' 15.953''$ N) which is located on Assam-Arunachal Pradesh Inter State boundary. From GPS point No 1, the Eco-sensitive Zone boundary runs along the Inter State boundary towards the east till it meets the GPS Point No 16 ($93^{\circ} 3'44.348''$ E & $26^{\circ} 55'15.106''$ N).
East	Thence, the boundary of the Nameri Tiger Reserve & Sonai Rupai Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone boundary runs from GPS Point no 16 ($93^{\circ} 3'44.348''$ E & $26^{\circ} 55'15.106''$ N) south ward along the eastern boundary of Naduar RF (Left Bank of Giladhari River) and meets the GPS point No 20 ($93^{\circ} 4'34.473''$ E & $26^{\circ} 52'5.854''$ N) where the Naduar RF boundary ends. From this point again the Eco-sensitive Zone boundary runs south ward along the Left Bank of Giladhari River till it meets the NF Railway line at GPS point No 29 ($93^{\circ} 4'17.832''$ E & $26^{\circ} 44'53.981''$ N).
South	Thence, the boundary of the Eco-sensitive Zone from GPS Point no 29($93^{\circ} 4'17.832''$ E & $26^{\circ} 44'53.981''$ N) runs westward direction along the NF Railway line up to the GPS Point No 43 ($92^{\circ} 48'51.004''$ E & $26^{\circ} 49'1.700''$ N). From GPS point no 43 the boundary runs along the Mansari river up to the GPS point No 51 ($92^{\circ} 44'59.425''$ E & $26^{\circ} 52'15.756''$ N). From GPS Point No 51 the boundary runs along the Chariduar RF boundary toward south and meets the GPS Point No 52 ($92^{\circ} 45'1.792''$ E & $26^{\circ} 51'58.139''$ N). From the GPS Point No 52, the boundary again runs west ward direction along southern boundary of the Chariduar RF till it meets the GPS Point No 57 ($92^{\circ} 37'10.058''$ E & $26^{\circ} 51'45.111''$ N). From GPS Point No. 57 the boundary runs towards south along the Tea Garden Road till it meets the GPS Point No 58 ($92^{\circ} 36'9.157''$ E & $26^{\circ} 51'9.464''$ N). From GPS Point no 58 the boundary again runs west ward direction till it meets the GPS Points No. 59 ($92^{\circ} 32'34.049''$ E & $26^{\circ} 51'17.806''$ N). From GPS point No 59 the boundary runs towards south along the Chariduar RF boundary up to GPS points No 66 ($92^{\circ} 30'29.853''$ E & $26^{\circ} 48'2.151''$ N) where it meets the NF Railway line. From GPS Point No. 66 the boundary runs toward south along the Chariduar RF boundary till it meets the GPS point No 70 ($92^{\circ} 28'34.258''$ E & $26^{\circ} 48'13.748''$ N) From GPS Point No.70 again the boundary runs westward along the NF Railway line till it meets the GPS Point No 77 ($92^{\circ} 18'42.874''$ E & $26^{\circ} 47'41.114''$ N) on the right bank of Mainajuli River.
West	From GPS Point No 77 ($92^{\circ} 18'42.874''$ E & $26^{\circ} 47'41.114''$ N) on the right bank of Mainajuli River, the boundary runs towards north along the right bank of the Mainajuli River till it meets the GPS Point No 83 ($92^{\circ} 19'1.653''$ E & $26^{\circ} 51'49.565''$ N) where it meets the southern boundary of the Rowta RF From this point, the boundary runs west ward along the Rowta RF boundary and meets the GPS point No 87 ($92^{\circ} 14'18.087''$ E & $26^{\circ} 51'21.401''$ N) on the left bank of Rowta River. From the GPS Point No 87 the boundary runs along the left bank of the Rowta River and meets the GPS point no 92 ($92^{\circ} 15'9.080''$ E & $26^{\circ} 54'30.674''$ N) which is located on the Assam Arunachal Pradesh Inter-state boundary. Thence from the GPS points No 92, the boundary runs along Assam Arunachal Pradesh Inter-state boundary till it meets the GPS Point No 1, which is the starting point of the Eco-sensitive Zone boundary.

ANNEXURE – II A**MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAMERI NATIONAL PARK**

ANNEXURE – II B

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NAMERI NATIONAL PARK



ANNEXURE-III**TABLE A: GPS LOCATION POINTS ON THE BOUNDARY OF THE NAMERI TIGER RESERVE**

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
(1 TR)	92° 39'49.154" E	27° 2'15.953" N
(2TR)	92° 41'35.715" E	27° 1'49.628" N
(3 TR)	92° 42'55.925" E	27° 1'34.120" N
(4 TR)	92° 44'49.016" E	27° 1'48.286" N
(5TR)	92° 46'21.957" E	27° 1'57.353" N
(6 TR)	92° 48'28.721" E	27° 1'27.857" N
(7 TR)	92° 50'6.506" E	27° 0'42.237" N
(8 TR)	92° 51'0.280" E	27° 0'31.570" N
(9TR)	92° 52'0.484" E	27° 0'19.633" N
(10 TR)	92° 53'23.087" E	26° 59'57.870" N
(11 TR)	92° 55'17.902" E	26° 58'55.534" N
(12 TR)	92° 55'7.269" E	26° 58'25.257" N
(13 TR)	92° 55'12.864" E	26° 57'45.443" N
(14 TR)	92° 59'1.640" E	26° 56'10.994" N
(15 TR)	92° 58'11.504" E	26° 55'31.225" N
(16 TR)	92° 56'53.025" E	26° 54'53.892" N
(17 TR)	92° 56'28.866" E	26° 53'40.887" N
(18 TR)	92° 55'17.356" E	26° 53'7.147" N
(19 TR)	92° 53'58.941" E	26° 52'46.436" N
(20 TR)	92° 52'49.182" E	26° 52'6.686" N
(21 TR)	92° 51'55.914" E	26° 50'34.612" N
(22 TR)	92° 51'20.264" E	26° 50'28.418" N
(23 TR)	92° 50'39.049" E	26° 50'43.275" N
(24 TR)	92° 50'18.551" E	26° 51'34.720" N
(25 TR)	92° 49'56.088" E	26° 53'8.109" N
(26 TR)	92° 49'44.339" E	26° 53'12.665" N
(27 TR)	92° 51'20.568" E	26° 53'1.249" N
(28 TR)	92° 51'19.902" E	26° 54'29.807" N
(29 TR)	92° 50'20.268" E	26° 56'3.044" N
(30 TR)	92° 49'15.240" E	26° 57'29.786" N
(31 TR)	92° 47'44.238" E	26° 58'26.780" N
(32 TR)	92° 45'52.360" E	26° 59'33.325" N
(33 TR)	92° 44'17.479" E	26° 59'45.602" N
(34 TR)	92° 42'50.366" E	26° 0'2.433" N
(35 TR)	92° 41'20.420" E	26° 59'44.703" N
(36 TR)	92° 39'59.132" E	27° 0'25.217" N
(37 TR)	92° 38'57.725" E	27° 0'52.845" N
(38 TR)	92° 39'21.748" E	27° 1'31.554" N

TABLE B: GPS OF BOUNDARY OF SONAI RUPAI WILDLIFE SANCTUARY

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
(1 WL)	92° 34'40.798" E	26° 57'31.909" N
(2 WL)	92° 34'50.419" E	26° 57'2.264" N
(3 WL)	92° 35'3.761" E	26° 55'56.000" N
(4 WL)	92° 34'53.983" E	26° 54'35.779" N
(5 WL)	92° 34'42.179" E	26° 53'32.621" N
(6 WL)	92° 35'19.916" E	26° 52'14.131" N
(7 WL)	92° 35'48.746" E	26° 51'48.559" N
(8 WL)	92° 32'34.612" E	26° 51'50.656" N
(9 WL)	92° 29'58.715" E	26° 51'50.128" N
(10 WL)	92° 28'52.439" E	26° 51'49.890" N
(11 WL)	92° 27'2.748" E	26° 51'49.475" N
(12 WL)	92° 25'14.975" E	26° 51'49.045" N
(13 WL)	92° 23'25.668" E	26° 51'48.586" N
(14 WL)	92° 20'44.211" E	26° 51'47.864" N

(15 WL)	92° 20'38.600" E	26° 52'29.817" N
(16 WL)	92° 20'43.533" E	26° 53'3.981" N
(17 WL)	92° 20'54.558" E	26° 54'3.110" N
(18 WL)	92° 21'22.262" E	26° 55'13.582" N
(19 WL)	92° 22'2.756" E	26° 55'56.127" N
(20 WL)	92° 22'11.213" E	26° 55'42.819" N
(21 WL)	92° 24'4.879" E	26° 55'28.867" N
(22 WL)	92° 24'53.185" E	26° 56'33.566" N
(23 WL)	92° 25'43.015" E	26° 56'27.579" N
(24 WL)	92° 27'0.331" E	26° 57'30.921" N
(25 WL)	92° 28'39.751" E	26° 57'40.101" N
(26 WL)	92° 30'23.610" E	26° 57'47.840" N
(27 WL)	92° 32'2.946" E	26° 57'34.234" N
(28 WL)	92° 33'10.992" E	26° 57'27.092" N

TABLE C: GPS LOCATION POINTS ON THE BOUNDARY OF THE ECO-SENSITIVE ZONE OF THE NAMERI NATIONAL PARK/RUPAI WILDLIFE SANCTUARY/NAMERI TIGER RESERVE

GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE	GPS POINTS	LONGITUDE	LATITUDE
1.	92° 39'49.154" E	27° 2' 15.953" N	42.	92° 50'32.907" E	26° 48' 38.926" N
2.	92° 41'35.715" E	27° 1' 49.628" N	43.	92° 48'51.004" E	26° 49' 1.700" N
3.	92° 42'55.925" E	27° 1' 34.120" N	44.	92° 48'19.859" E	26° 49' 15.953" N
4.	92° 44'49.016" E	27° 1' 48.286" N	45.	92° 48'5.385" E	26° 50' 15.953" N
5.	92° 46'21.957" E	27° 1' 57.353" N	46.	92° 47'35.542" E	26° 51' 15.953" N
6.	92° 48'28.721" E	27° 1' 27.857" N	47.	92° 47'9.516" E	26° 51' 15.953" N
7.	92° 50'6.506" E	27° 0' 42.237" N	48.	92° 46'37.627" E	26° 52' 15.953" N
8.	92° 51'0.280" E	27° 0' 31.570" N	49.	92° 46'4.647" E	26° 52' 15.953" N
9.	92° 52'0.484" E	27° 0' 19.633" N	50.	92° 45'37.319" E	26° 52' 15.953" N
10.	92° 53'23.087" E	26° 59' 57.870" N	51.	92° 44'59.425" E	26° 52' 15.953" N
11.	92° 55'17.902" E	26° 58' 55.534" N	52.	92° 45'1.792" E	26° 51' 15.953" N
12.	92° 55'7.269" E	26° 58' 25.257" N	53.	92° 43'9.033" E	26° 51' 15.953" N
13.	92° 55'12.864" E	26° 57' 45.443" N	54.	92° 42'29.057" E	26° 52' 15.953" N
14.	92° 59'1.640" E	26° 56' 10.994" N	55.	92° 40'52.882" E	26° 52' 11.747" N
15.	93° 1'30.098" E	26° 54' 45.891" N	56.	92° 40'52.129" E	26° 51' 43.535" N
16.	93° 3'44.348" E	26° 55' 15.106" N	57.	92° 39'49.154" E	27° 2' 15.953" N
17.	93° 3'34.070" E	26° 54' 14.430" N	58.	92° 41'35.715" E	27° 1' 49.628" N
18.	93° 4'23.339" E	26° 53' 43.571" N	59.	92° 42'55.925" E	27° 1' 34.120" N
19.	93° 4'44.819" E	26° 52' 45.717" N	60.	92° 44'49.016" E	27° 1' 27.857" N
20.	93° 4'34.473" E	26° 52' 5.854" N	61.	92° 46'21.957" E	27° 1' 57.353" N
21.	93° 4'27.956" E	26° 51' 11.884" N	62.	92° 48'28.721" E	27° 0' 42.237" N
22.	93° 4'2.889" E	26° 50' 33.403" N	63.	92° 50'6.506" E	27° 0' 31.570" N
23.	93° 3'58.135" E	26° 49' 29.456" N	64.	92° 51'0.280" E	27° 0' 19.633" N
24.	93° 3'38.044" E	26° 48' 18.085" N	65.	92° 52'0.484" E	26° 59' 57.870" N
25.	93° 3'51.974" E	26° 47' 34.632" N	66.	92° 53'23.087" E	26° 58' 55.534" N
26.	93° 3'57.844" E	26° 46' 56.262" N	67.	92° 55'17.902" E	26° 58' 25.257" N
27.	93° 4'13.415" E	26° 46' 9.883" N	68.	92° 55'7.269" E	26° 57' 45.443" N
28.	93° 4'24.584" E	26° 45' 36.131" N	69.	92° 55'12.864" E	26° 56' 10.994" N
29.	93° 4'17.832" E	26° 44' 53.981" N	70.	92° 59'1.640" E	26° 54' 45.891" N
30.	93° 1'59.200" E	26° 44' 46.343" N	71.	93° 1'30.098" E	26° 55' 15.106" N
31.	93° 0'47.189" E	26° 45' 19.482" N	72.	93° 3'44.348" E	26° 54' 14.430" N
32.	92° 59'36.652" E	26° 45' 36.940" N	73.	93° 3'34.070" E	26° 53' 43.571" N
33.	92° 58'53.330" E	26° 45' 46.514" N	74.	93° 4'23.339" E	26° 52' 5.854" N
34.	92° 58'5.969" E	26° 46' 4.858" N	75.	93° 4'44.819" E	26° 52' 45.717" N
35.	92° 57'19.524" E	26° 46' 24.363" N	76.	93° 4'34.473" E	26° 51' 11.884" N
36.	92° 56'16.739" E	26° 47' 2.273" N	77.	93° 4'27.956" E	26° 50' 33.403" N
37.	92° 55'10.252" E	26° 47' 42.538" N	78.	93° 4'2.889" E	26° 49' 29.456" N
38.	92° 54'23.337" E	26° 48' 11.761" N	79.	93° 3'58.135" E	26° 48' 18.085" N
39.	92° 53'22.044" E	26° 48' 47.062" N	80.	93° 3'38.044" E	26° 47' 34.632" N
40.	92° 52'23.789" E	26° 48' 44.858" N	81.	93° 3'51.974" E	26° 47' 28.721" N
41.	92° 51'25.936" E	26° 48' 41.662" N	82.	93° 3'57.844" E	26° 46' 56.262" N

83.	93° 4'13.415" E	26° 46' 9.883" N
84.	93° 4'24.584" E	26° 45' 36.131" N
85.	93° 4'17.832" E	26° 44' 53.981" N
86.	93° 1'59.200" E	26° 44' 46.343" N
87.	93° 0'47.189" E	26° 45' 19.482" N
88.	92° 59'36.652" E	26° 45' 36.940" N
89.	92° 58'53.330" E	26° 45' 46.514" N
90.	92° 58'5.969" E	26° 46' 4.858" N
91.	92° 57'19.524" E	26° 46' 24.363" N
92.	92° 56'16.739" E	26° 47' 2.273" N
93.	92° 55'10.252" E	26° 47' 42.538" N
94.	92° 54'23.337" E	26° 48' 11.761" N
95.	92° 53'22.044" E	26° 48' 47.062" N
96.	92° 52'23.789" E	26° 48' 44.858" N
97.	92° 51'25.936" E	26° 48' 41.662" N
98.	92° 50'32.907" E	26° 48' 38.926" N

99.	92° 48'51.004" E	26° 49' 1.700" N
100.	92° 48'19.859" E	26° 49' 15.953" N
101.	92° 48'5.385" E	26° 50' 15.953" N
102.	92° 47'35.542" E	26° 51' 15.953" N
103.	92° 47'9.516" E	26° 51' 15.953" N
104.	92° 46'37.627" E	26° 52' 15.953" N
105.	92° 46'4.647" E	26° 52' 15.953" N
106.	92° 45'37.319" E	26° 52' 15.953" N
107.	92° 44'59.425" E	26° 52' 15.953" N
108.	92° 45'1.792" E	26° 51' 15.953" N
109.	92° 43'9.033" E	26° 51' 15.953" N
110.	92° 42'29.057" E	26° 52' 15.953" N
111.	92° 40'52.882" E	26° 52' 11.747" N
112.	92° 40'52.129" E	26° 51' 43.535" N
113.	92° 39'49.154" E	27° 2' 15.953" N

ANNEXURE - IV**LIST OF VILLAGES IN THE NAMERI TIGER RESERVE ECO-SENSITIVE ZONE**

(The List is tentative & non exhaustive)

TABLE A: NAMERI NATIONAL PARK

S.No.	Name	Longitude	Latitude
1.	Chotaigaon	92° 47'44.91"	26° 57'34.73"
2.	Chotaigaon (Miribasti)	92° 48'31.81"	26° 56'51.08"
3.	Potasall	92° 49'29.61"	26° 55'22.99"
4.	Gamani	92° 48'25.23"	26° 55'36.26"
5.	Natun Dharikati	92° 49'31.86"	26° 54'53.71"
6.	Aralilaga	92° 47'42.14"	26° 54'22.27"
7.	Sopaloga	92° 47'44.57"	26° 54'45.88"
8.	Sengelimari	92° 47'21.55"	26° 53'27.56"
9.	Dharikati	92° 49'39.99"	26° 53'16.76"
10.	Sonaibasti	92° 49'30.47"	26° 52'21.35"
11.	Bokola	92° 46'51.27"	26° 52'53.91"
12.	Dolongbasti	92° 47'44.05"	26° 52'4.061"
13.	Bedgaul	92° 47'27.26"	26° 51'41.67"
14.	Hoddibasti	92° 48'22.29"	26° 51'30.56"
15.	Bhorelibasti	92° 49'7.979"	26° 51'39.36"
16.	Bhuragaon TG	92° 48'53.27"	26° 50'57.98"
17.	Lokra	92° 48'8.450"	26° 50'27.10"
18.	Ghoramari	92° 49'50.37"	26° 49'58.38"
19.	Salanibasti	92° 49'21.99"	26° 49'27.81"
20.	Salani	92° 50'12.52"	26° 49'24.72"
21.	Bamgaon	92° 48'32.67"	26° 49'18.85"
22.	Akabasti	92° 49'18.36"	26° 48'39.70"
23.	Silanipam	92° 51'41.47"	26° 49'38.46"
24.	Badgaon	92° 51'44.93"	26° 48'57.77"
25.	Sikimgaon	92° 51'52.54"	26° 50'10.81"
26.	Silanighat	92° 52'27.93"	26° 49'53.79"
27.	Bahminipam	92° 53'23.57"	26° 49'39.89"
28.	Thowbanga	92° 53'49.01"	26° 48'39.58"
29.	Agripam	92° 54'15.14"	26° 49'40.28"
30.	Patgaon	92° 53'41.56"	26° 50'13.01"
31.	Ranga Chuck	92° 54'39.36"	26° 50'20.73"
32.	Bor Dikarai	92° 53'45.03"	26° 51'31.41"
33.	Morikuti	92° 55'1.518"	26° 51'28.63"
34.	Batamari	92° 56'6.584"	26° 50'35.67"
35.	Christian basti	92° 56'5.719"	26° 51'55.95"
36.	Batamari	92° 56'14.02"	26° 51'13.81"

37.	Githrijan	92° 56'45.00"	26° 50'52.35"
38.	Uttar Balijuri	92° 57'35.35"	26° 51'26.31"
39.	Tezalpatty	92° 58'51.32"	26° 52'5.219"
40.	Mirigaon	92° 56'5.113"	26° 52'45.12"

TABLE B: SONAI-RUPAI WILDLIFE SANCTUARY

S.No.	Name	Longitude	Latitude
1.	Kachharigaon	92° 37'23.87"	26° 53'30.21"
2.	Lotara	92° 37'44.41"	26° 51'53.34"
3.	Tarajuli	92° 38'21.12"	26° 51'34.17"
4.	Tarajuli TG	92° 38'5.055"	26° 51'19.75"
5.	Dhandai TG	92° 37'50.12"	26° 50'42.92"
6.	Jiaghabharu	92° 35'32.80"	26° 51'25.52"
7.	Rikamari	92° 34'33.65"	26° 51'18.05"
8.	Kalamari	92° 32'52.00"	26° 51'44.73"
9.	Bhaiganajuli	92° 33'11.40"	26° 51'26.58"
10.	Dighalijuli	92° 33'56.28"	26° 51'19.45"
11.	Naharani	92° 33'0.179"	26° 51'3.843"
12.	Kolabari	92° 34'36.03"	26° 50'35.50"
13.	Dhankhana No 1	92° 32'32.69"	26° 49'57.15"
14.	Dhankhana No 2	92° 33'23.09"	26° 49'31.35"
15.	Nepalibasti	92° 34'12.16"	26° 49'37.29"
16.	Ramnathpur	92° 31'20.23"	26° 49'15.23"
17.	Ghoranibil	92° 34'57.05"	26° 50'20.74"
18.	Balikuthi	92° 35'37.94"	26° 50'17.17"
19.	Bherberi	92° 34'39.64"	26° 50'11.49"
20.	Kathalguri	92° 33'28.23"	26° 50'19.46"
21.	Gabharu	92° 37'17.12"	26° 49'28.13"
22.	Kadabil	92° 18'21.49"	26° 51'42.06"
23.	Hatitopa	92° 19'0.298"	26° 51'22.38"
24.	Jingabil	92° 19'50.31"	26° 51'29.67"
25.	Deonsani	92° 20'23.22"	26° 51'14.40"
26.	Jaggapur	92° 19'35.95"	26° 50'24.68"
27.	Betibari TG	92° 18'47.74"	26° 50'9.922"
28.	Lokampur	92° 19'36.14"	26° 49'39.54"
29.	Bhotapara	92° 20'59.16"	26° 49'11.03"
30.	Chapai Raumar	92° 22'16.57"	26° 49'20.19"
31.	Jhargaoon	92° 22'48.81"	26° 49'13.32"

Annexure –V**Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. -**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan:
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance: